"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014—श्रावण 2, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014, (श्रावण 2 शक 1936)

क्रमांक-8233/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) जो गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2क) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, दो वर्ष से अधिक समय पूर्व प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार कर सकेगी."

अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस - 30655 सन् 1996, दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कला, • विज्ञान, • वाणिज्य, • इंजीनियरिंग, • नैनो-टेक्नोलॉजी, • व्यवसाय प्रबंधन, • विधि, • हॉटल मैनेजमेंट, • फैशन डिजाईनिंग, विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	ओ. पी., जिन्दल यूनिवर्सिटी	जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक बी. एस. 2171, दिनांक 4-5-1998	ओ. पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी संकाय, • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय, • विज्ञान संकाय, • शिक्षा संकाय, • शारीरिक शिक्षा संकाय"

उद्देश्य और कारणों का कथन

उच्चतर शिक्षा देने एवं इसकी पहुंच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालयों को स्थापित करना आवश्यक है, प्रायोजक निकायों ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये आवेदन किया था तथा उन्होंने उक्त अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित समस्त आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 (2) तथा अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :-

1. **धारा 9 (2) -**
"इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है. परंतु यह भी कि उक्त उपधारा (2) में दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 2 वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा."

2. अनुसूची [धारा 9(1) के अन्तर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नालाजी (आई सेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत-गुल्लू ग्राम-गुल्लू तहसील-आरंग जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम का प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक 2561 छ. ग. राज्य, दिनांक 08-01-2004	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आंरग, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय	दि आई. सी. एफ. ए. आई. सोसायटी रायपुर	छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002	ग्राम -चोरहा, आर. आई. सर्किल, अहिवारा तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई. टी. एम. विश्वविद्यालय	आई. टी. एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक - 2755 छ. ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प. ह. नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर, पिन-493661	छत्तीसगढ़	• कम्प्यूटर साईंस • इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी • बायो-टेक्नालॉजी • बायो-इंफॉर्मेटिक्स • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • माइक्रोबायआलाजी • नैनोटेक्नोलॉजी • फार्मेसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • व्यवसाय प्रबंधन • ह्यूमैनिटीज • विधि • शिक्षा विज्ञान • स्वास्थ्य विज्ञान • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाइनिंग • पत्रकारिता एवं जनसंचार • प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.